

8

रखने वाले अपने पास रखें)

दिनांक

का धारक का आवेदन

1/3/2015  
1/3/2015

संख्या-पत्र की क्रमांक

विवरण फौज को प्राप्त हुई

आवेदन की संख्या 3/2015

रकम पैसे

योग रकम

रकम

(1) सख्त-पत्र की प्रस्तुत

रकम की फीस

2.00 = 100

(2) धारा 62 के अनुसार

रकम देने की फीस

(3) धारा 25 से 34 के अनुसार

रकम देने की फीस

रकम

विविध फीस:

(1) साधारण अथवा विशेष अथवा पत्र प्रत्यापीकरण फीस

(2) धारा 62 के अनुसार

(3) धारा 25 से 34 के अनुसार

होने अथवा सम्भावना के कारण

कारण चुकाई हुई

(4) कार्यालय तथा

(5) रजिस्ट्रार द्वारा

रकम

(7) मंहरबन्द लिपि

अमानत रखने, चाफिस

(8) पुस्तक के निरीक्षण

(9) अन्य विविध प्रकार की

विविध इत्यादि की

योग फीस 3320 = 00

दिनांक 1/3/2015

आवेदन प्राप्त होने पर तलाश

आवेदन की तारीख

रजिस्ट्रार (राज.)

2015

तारीख



विक्रय पत्र तादादी 3,12,000 /-रु० तीन लाख बारह हजार रुपया मात्र  
 स्टाम्प राजकीय वेल्युएशन से तादादी 25,000 /-पचीस हजार रुपया मात्र

यह विक्रय पत्र आज दिनांक 31-7-2005 ई० को निम्न पक्षकारान विक्रेता प्रथम पक्षकार द्वारा क्रेता द्वितीय पक्षकार के पक्ष में निम्न प्रकार से सम्पादित किया जाता है :-

विक्रेता:-

श्री दिलखुश, सुखलाल रामचन्द्र, गिरजालाल पिता सोहनलाल जो जाति ब्रामण(मंदावत), उम्र 60, 54, 52, 48 वर्ष, पेशा क्रमश:- पेंशनर, नौकरी, काश्त, नौकरी, निवासी-भीण्डर, तहसील-वल्लभनगर, जिला-उदयपुर (राज०)

—प्रथम पक्षकार

क्रेता:-

श्री मेवाड शारीरिक शिक्षा समिति, हीन्ता-भीण्डर,  
 अध्यक्ष- श्री गणपतलाल जो पिता श्री एकलिंग जी जाति मेनारिया ब्रामण उम्र-47 वर्ष, पेशा-व्यापार एवं कृषि, निवासी- बासड़ा, तहसील-वल्लभनगर, जिला-उदयपुर (राज०)

—द्वितीय पक्षकार

क्रमश:-—2पर

श्री मेवाड शारीरिक शिक्षा समिति  
 अध्यक्ष- श्री गणपतलाल जो  
 निवासी- बासड़ा, तहसील-वल्लभनगर, जिला-उदयपुर (राज०)



यह कि ग्राम फौजबडली, पटवार मण्डल-चारगदिया, उप तहसील-भीण्डर, तहसील-कलननगर, जिला-उदयपुर (राज) में स्थित खाता संख्या 21 की आराजी नम्बर 255 रकबा 9 दिश्वा किस्म ह0सेकण्ड 1 बीगा 5 दिश्वा उसर 4 दिश्वा, लगानी 0.81, आ0नं0 256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-271-272-273 ) रकबा 5 बीगा 3 दिश्वा किस्म बी0सेकण्ड लगानी 1-94 रू0, आ0नं0 257 रकबा 4 दिश्वा किस्म खडा, आ0नं0 258 रकबा 6 दिश्वा किस्म ह0सेकण्ड, लगानी 0-25 रू0, आ0नं0 259 रकबा 13 दिश्वा, किस्म ह0 सेकण्ड, लगानी 260 रू0, आ0नं0 261 रकबा 18 दिश्वा किस्म ह0 सेकण्ड, लगानी 0-69 रू0, आ0नं0 263-264 रकबा 15 दिश्वा किस्म ह0फस्ट 5 दिश्वा, ह0सेकण्ड 10 दिश्वा, लगानी 0-62, आ0नं0 267 रकबा 1 बीगा 1 दिश्वा किस्म खा0सेकण्ड 2-13, आ0नं0 270 रकबा 14 दिश्वा किस्म ह0सेकण्ड लगानी 0-50 रू0, कुल कीता 9 रकबा 11 बीगा 3 दिश्वा, लगानी 7-44 रू0, का हिस्सा 1/3 से 74.33 दिश्वा, भूमि को बिल गिना 1000/-रू0 अक्षर तीन लाख बारह हजार रूपया के प्रतिफल में आप केता हकदार का मय रुख-इक्ष, डाली-पाली, मेर-कोर, बाड-कटवाड, निकास-पेसार, हक-खातदारी राईट सुदा कुलिया इक हकूकों के विकय कर वास्तविक रूप से कब्जा आप के द्वितीय पक्षकार को सिपुर्द कर दिया है सो आप केता द्वितीय पक्षकार उक्त भूमि का अपनी इच्छा अनुसार उपयोग- उपभोग करें भविष्य में हर प्रकार से अन्य को हस्तान्तरित करें

यह कि हम विकेता प्रथम पक्षकार को जायज जरूरीयात में रूपयों की आवश्यकता होने से कलम नं 11 में वर्णित सुदा ग्राम फौजबडली, उप तहसील-भीण्डर तहसील-कलननगर, जिला-उदयपुर (राज) में स्थित खाता संख्या 21 की आराजी कीता 9 रकबा 3 बीगा 3 दिश्वा लगानी 7-44रू0, का हिस्सा 1/3 से 74.33 दिश्वा, भूमि को बिल एवज 1000/-रू0 अक्षर तीन लाख बारह हजार रूपया के प्रतिफल में आप केता हकदार का मय रुख-इक्ष, डाली-पाली, मेर-कोर, बाड-कटवाड, निकास-पेसार, हक-खातदारी राईट सुदा कुलिया इक हकूकों के विकय कर वास्तविक रूप से कब्जा आप के द्वितीय पक्षकार को सिपुर्द कर दिया है सो आप केता द्वितीय पक्षकार उक्त भूमि का अपनी इच्छा अनुसार उपयोग- उपभोग करें भविष्य में हर प्रकार से अन्य को हस्तान्तरित करें

दिनांक 15/05/2024

2522  
 शर्मा  
 जिला-उदयपुर (राज)  
 तहसील-कलननगर



-3-

हम इसका किसी प्रकार का कोई उजर ऐतराज नहीं हैं, आज से आप कंता द्वितीय पक्षकार ही इसका मालिक एवं अधिपत्यधारी हैं।

3: यह कि विक्रय राशि रुपये 3,12,000/-रु०, अक्षरें तीन लाख बारह हजार रुपये, विक्रेता प्रथम पक्षकार ने आप कंता द्वितीय पक्षकार से दी बैंक आफ राजस्थान लि० शाखा जयपुर के चेक नं० कमश: 063914, 063915, 063916, 063917 कमश: राशि 78,000/-रु० के तहत, हम चारों विक्रेताओं के नाम पर अलग-2 प्राप्त कर लिये हैं, अब कोई राशि लेना शेष नहीं है, इसकी प्राप्ति की अनिस्वीकृती वक्त, रजिस्ट्री कर देंगे।

4: यह कि इस विक्रय मुद्रा द्वारा उक्त वर्णित विक्रित आराजीयात को आप कंता राजस्थान रजिस्ट्रारों में अपने नाम पर परिवर्तन करा लें।

5: यह कि उक्त वर्णित विक्रित आराजीयात हम विक्रेता प्रथम पक्षकार ने आज से पूर्व किसी व्यक्ति को रहन, बेह, बकास, बसीयत आदि किसी प्रकार से हस्तान्तरित की हुई नहीं है। इस भूमि पर किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था, या किसी व्यक्ति का कोई ऋण एवं भार नहीं है। यदि इस पर किसी प्रकार का कोई ऋण या भार होगा तो उसकी अदायगी का जवाब हम विक्रेता का है व रहेगा।

6: यह कि इस विक्रय बाबत हम विक्रेता प्रथम पक्षकार के कुटुम्बी, परिवारजन, उत्तराधिकारीयो का या अन्य किसी व्यक्ति का कोई उजर या ऐतराज नहीं है, इस पर किसी प्रकार का कोई वाद किसी न्यायालय में नहीं चल रहा है। अगर कोई उजर या ऐतराज करेगा तो कोई ऋण भार या विवाद होगा तो उसकी समस्त प्रकार की अदायगी व उत्तरदायित्व एवं जवाब की जिम्मेदारी हम विक्रेता प्रथम पक्षकार की रहेगी और उनका मन हम विक्रेता प्रथम पक्षकार स्वयं अपने घराघरू मनायेंगे।

कमश:—4पर

हम विक्रेता प्रथम पक्षकार *(Signature)* रजिस्ट्रार *(Signature)*

2024

रजिस्ट्रार, जयपुर, राजस्थान  
दिनांक-२५/१२/२०२४ (२५/१२/२४)

रजिस्ट्रार

5000Rs.

24



-4-

यह कि हम विक्रेता प्रथम पक्षकार की किसी त्रुटी या स्वत्व की कमी के कारण कर्णित विक्रित भूमि या उसका कोई अंश आप केता द्वितीय पक्षकार के कब्जे से निकलेंगे जो जरे विक्रय राशि नय हरजा खरचा लागत हर्जाने आदि की अदायगी का जिम्मेदार प्रथम पक्षकार का रहेगा और आप केता द्वितीय पक्षकार हमसे व हमारी दिगर क्षमता के अन्दर आयादाद से विधेवल बतुल कर सकेगे ।

यह कि इस विक्रय पत्र के मुद्राक एवं पंजीयन आदि का समस्त व्यय आप केता प्रथम पक्षकार ने वहन किया है ।

अतः यह विक्रय पत्र हम विक्रेता प्रथम पक्षकार ने अपने पूर्ण प्रसन्नचित एवं स्थिर मन से बिना किसी भय या दबाव के प्रसन्नतापूर्वक अपनी स्वेच्छा से राजकीय मुद्राक संख्या 380 तादादी क्रमशः 5,000/- जुमला कीता 5 व संलग्न सप्लीमेन्दी पेपर कीता एक कुल कीता 5 तादादी 25,000/- पच्चीस हजार रुपया पर हस्ताक्षर कर सम्पादित करा दिनांक 23/08/2005 आद्यण वर्तमान दिनांक अनुसार दिनांक 31-7-2005 ई0 को अंकित कर सप्लीमेन्दी के समक्ष भौण्डर में केता पढकर, सुनकर, समझकर अपने हस्ताक्षर कर सम्पादित किया है कि सही मनस्स यह शक्त जरूरत काम आवे ।

दिनांक 31-7-2005 ई0.  
स्थान: कोण्डर (राज.)

*हस्ताक्षर* *11/06/19/11* *हस्ताक्षर* *1/11/11/11/11*

*हस्ताक्षर*

हस्ताक्षर सम्पादनकर्ता  
(विक्रेता प्रथम पक्षकार)

*2005*

स्थाना प्रत  
दिनांक

पंजीयक की तह  
दिनांक

25

5000Rs.



-5-

साक्षी:-

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता साक्षीगण इस विक्रय पत्र पर अपने हस्ताक्षर कर साक्ष्य करते हैं कि उक्त विक्रय पत्र विक्रेता प्रथम पक्षकार ने हमारे सम्मुख पढ़कर, सुनकर पढ़ाकर अपने लिखित गणित सही सत्य तथा विक्रय पत्र में वर्णित राशि प्राप्त की अपने हस्ताक्षर कर सम्पादन किया। उपरोक्त विक्रेता प्रथम पक्षकार को हम स्वीकारते हैं।

दिनांक 21/05/05  
हस्ताक्षर  
[Signature]

1- नाम - राजेश कुमार शर्मा  
पिता का नाम - श्री. विनय कुमार शर्मा  
जाति - ब्राह्मण निवासी - भीड़र  
तहसील - वल्लभनगर, जिला - उदयपुर (राज.)

[Signature]

2- नाम - कल्पित शर्मा शर्मा  
पिता का नाम - श्री. राजेश कुमार शर्मा  
जाति - ब्राह्मण निवासी - भीड़र  
तहसील - वल्लभनगर, जिला - उदयपुर (राज.)

दिनांक 21/05/05  
हस्ताक्षर सम्पादनकर्ता  
(विक्रेता प्रथम पक्षकार)  
कमरा - 6पर

दिनांक 21/05/05  
[Signature]

उपपंजीयक, भीड़र  
उदयपुर (राज.)

2005

26

विक्रित भूमि सम्बन्धित विवरण निम्न हैं :-

- 1- कि विक्रित आराजीयात के खसरा नम्बर, क्षेत्रफल, लगान उपर अंकित हैं ।
- 2- कि विक्रित भूमि का क्षेत्रफल 74.33 बिश्वा हैं । जिसमें किस्म खादी का हि0 7बिश्वा हैं ।
- 3- कि विक्रित भूमि असिधित हैं । पिलाई का कोई साधन नहीं हैं । भूमि पडत होकर वर्तमान में एक साखी हैं । भूमि की किस्म में खडडा बताया गया है किन्तु मौक पर समतल कर दिया गया है ।
- 4- कि विक्रित भूमि ग्राम जौजबडली के पूर्व तरफ आबादी से 1/2 किमी की पर स्थित हैं ।
- 5- कि विक्रित भूमि के आस-पास कोई औद्योगिक वाणिज्यिक, आवासीय ईकाइया आदि नहीं हैं ।
- 6- कि भावों में कोई उतार चढ़ाव नहीं हैं ।
- 7- कि विक्रय राशि बाजार मुल्य से कम नहीं है ।

दिनांक:- 31-7-2005 ई0

बि० प्रहलाद राव-पंडित

पिल शुरु मन्दावत

(विक्रता प्रथम पक्षकार )  
हस्ताक्षर सम्पादनकर्ता

हय पंडित, बी०एच०  
लिन-नयपुर (राय)

2005

बि० प्रहलाद राव

राय

...



विकल्पगत 75000/-  
 शुल्कांकन 114000/-  
 स्वयम् 11400/-

(98)

(3)

53/74

संविधान के अन्तर्गत प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने वाले व्यक्तियों के नाम (प्रत्येक नाम के लिए एक पंक्ति में)

1. प्राप्ति करने वाले का नाम श्री **नवलसिंह मीता अर्जुन**  
 2. पता श्री **सिंह राजपूत निवासी**  
 3. जिला **जोधपुर**

विकल्पगत 75000/-

- (1) आधारभूत की संख्या
- (2) संघ-पंच की सूची में प्रतिनिधि बनने की कीमत
- (3) द्वारा संघ-पंच के अनुसार प्राप्त जमीन क्षेत्र की कीमत

द्वारा 57 के अनुसार प्राप्ति के प्रथम वर्षों की प्रतिनिधि की कीमत

- (1) आधारभूत पंच या विशेष अधिकार-पंच स्थायीकरण पत्र...
- (2) द्वारा 57 के अनुसार अनुवाद प्रस्तुत करने की कीमत
- (3) द्वारा 57 के अनुसार देर से निष्पन्न प्रस्तुत होने अथवा अभावनकर्ता हत्यादि के उपस्थित होने के कारण प्रस्ताव न मिलने
- (4) कमीशन तथा प्रस्ताव के कीमत तथा भुगतान
- (5) दस्तावेज द्वारा प्रतिनिधि बनने पर भविष्य की कीमत
- (6) संरक्षण कीमत
- (7) मोहुरबन्ध लिफाके (जिसमें अंत्योपस्थापना पत्र रखा हो) परमान्त रखने, धारण करने अथवा कोमल की कीमत
- (8) पुस्तक के निरीक्षण अथवा अज्ञात की कीमत
- (9) अन्य विविध प्रकार की आय (जिसमें अज्ञात वसूली की विक्री इत्यादि की आय सम्मिलित)

553-00  
 9-  
 2-

श्री काय ... 564-00

इसका पान्य सौ-चौसठ भाग

8-2-94

प्राप्ति करने की तारीख ...  
 या प्राप्ति तथा नोट कंटेनर पाने के हस्ताक्षर और मीटिंग  
 करने की तारीख

8-2-94

राजपूत  
 राजपूत  
 जिला जोधपुर (राज.)

2023

राजपूत  
 जिला



विक्रमपत्र मुद्रांकन 4000/ पन्नाए हमार रुपया मात्र -  
बैद्यु गेशन के एतराजमे 98000/- 9,98000/ एकबाय  
चक्राह्यर रुपया मात्र।

राज्यक्रियु मद्राँर को मती 99800/ का लोन

मै दि. गववासे हि. अजुनासे एसी राजपुत शाका नत जमर  
20 वर्ष निजा सी. पोजवडली तेह। सिय वलमतंगर एजे गजदम  
ए राज स्थान का हूँ। जो दि. एस विक्रम पत्र का निष्ठा  
दमकते हूँ और विक्रेता हूँ।

आप अध्वरु श्री गणपतलवार, श्री सुनारिय, मेवाड  
शांरिक शिवा सि मीती. हीला-मीन्डर पंजीयन 106/08 दिना  
392/1918 है। जो दि. एस विक्रमपत्र के गृहणकर्ता है। और  
जसा है जिन्हें एस विक्रमपत्र में क्रेता के नाम से सम्बोधन  
किये गये है।

(1) दि. ग्राम पोजवडली परकर सरकर चारगरीया में चेरुज  
एकका आकली नि.केता के रगो को आरामी रनतरा नं. 223-224  
222-324 रकवा 200 8 प. ग. वगानी 09-88 एकर रुपया  
पमा बीस पेसा है। वतः सीमा उल्लेख है।

(2) फमला गोपा नारु वगैरा गाडगी यान की आरामी।

(3) रगोण - आम रास्ता इन्हा।

जवाहर सिंह

22/8/11

शशाङ्क प्रसाद  
जिला मजिस्ट्रेट  
जयपुर



(3) पुरव- सीमा मीटर।

(4) पाश्चिम-कमला गोजा नारु गडरी एवं सोहनवाप वि-कीसन  
बाद वंशोलाक-लक्ष्मीगड-पेला केज नाथ भंडार। अय  
ए। नि-मीटरपी आरामीगत।

अंतोम वतः सीमामध्य अपर अंशत सः संश्ले आरामी विभासी  
एवं विक्रम के ली आभे प्रत्य सं है। और उसका अप भोग  
विक्रम ली कर रहा है।

(2) कि विक्रम को रूपये की आवश्यकता होने से प्रक वम नं०  
१ में बालिन आरामी रुक्या ४४ पांच बीगा चवदा बिस्वा भगाली  
०१ रु ४४ पैसा का एक बास्त रचडम रगतेशरी राठठे आग दिनडू  
८। २। सत १६६४ का रूठम तुस डाली वाली मेकरे वाड रुठवाड  
नि दास पैसा संश्ले आभेशर आरामी पाताली कु मरा मीरुडा  
एक एक को के केता ६१००० असेर पनाए हगा रूपमा सिरे काजा  
चवन के अके फर से विक्रम कर देता है। विक्रमने ६१०००  
पनाए हगा रूपमा ली प्राप्त किमे है। वकम रमी लूरी सरकारी  
वैद्यनेशन के आभार पर एका मुल्य ५,१४०००। एकदार न  
चवदा हगा का माना जाने से मह विक्रम पत्र राज्यादिम  
मुद्रांक कीमती ११४०० रूपमा पर तरली व दीयागंमो है। अ-  
क्रम संश्ले आरामी का केला को ववजा दे दिमा है। सो सीमा  
ली के नि एमे रे अतु श्रु अफके ग एके अप भोग करे।

जलका रूठ

2022

बापा-प्रताप





33



- (2) दि. यह आरामी अक्षी निर ठाकर एव एमली है जिसमें का स्मनले लेमी है। कीड है मकेली बंधु चरते है।
- (3) दि. विक्रम आरामी की क्षीम सफेद उत्तर है।
- (4) दि. नम्रुष खान व जिगसगी ररा की रगसरा श्री फाते की उत्तक साम है।
- (5) दि. यह आरामी आकारी फोज वडली पर वरी मामे है। आकारी फोज वडली से १-१-१९६६ से १-१-१९६७ परी सडके से १ सीवा भीर से पूरी है।
- (6) आगमन का रास्ता कना है की गली उपलब्ध नले है।
- (7) दि. इस आरामी के आस पास औधौधी क गली जमना आवासीय उत्तिय नले है।
- (8) दि. यह आरामी नगरानी का कीड एके क्षेत्र में नले ठाकर गाम फोज वडली पंचायत क्षेत्र के अन्तर्गत नाएरीया के अन्तर्गत है।
- (9) दि. भागे में कता वडा व नले है। इससे विशेष रकम देना वादा करे ग्रहण नले है।
- (10) दि. विक्रम राशी १७० रूपए सही और नास्त विक्रम फकर। पेज नं० २ सी वा. नं० १३ में १९७१ को ११ जपली रना

200Rs. प्रमाण

श्री राजीवराज  
मोहर  
विक्रम नगर (२३०)

जयपुर


मामे



आमठनामा इत ग्राम - फौजवाली तहसील - जयपुर जिला - राजस्थान



फास  
जमीन = 2400  
पट्टा = 12000



सच्चा प्रतिलिपि  
935 के क्र.सं 1518 पर  
वर्ज कर प्रतिलिपि दी गई है।

पट्टा नं. 12000

पत्रावली सं. 3/37

### पट्टा विलेख

पट्टा विलेख एक ओर राजस्थान राज्य के राज्यपाल (जिसे इसके आगे 'पट्टाकर्ता' कहा गया है ओर जिस अधिकारिता में उनके अधिकारों की अनुशासक समनुदेशनी सम्मिलित होगी जब तक विषय संपन्न करने द्वारा अपना अधिकार नहीं छोड़ते) को दूसरी ओर श्री गणपतलाल मेनाविया आर्य समाज के मुख्यालय के पास स्थित भूमि के सम्बन्ध में (जिसे इसमें इसकी प्रकृतियों पट्टा द्वारा कहा गया है और जिस अनियमित में उत्तरवर्ती और समनुदेशनी सम्मिलित होगी) जब तक विषय संपन्न करने द्वारा अपना अधिकार नहीं छोड़ते) को दिया गया है।

मत: पट्टा दार ने इसमें उपाचय अनुसूचि में वर्णित भूमि पर नगरीय पट्टा अधिकारों के अर्जन के लिए पट्टा-कर्ता को आवेदन किया है।  
 और स्वतः पट्टाकर्ता उक्त भूमि का पट्टा दार को इसमें इसकी प्रकृतियों बताये गये विवरणों और पट्टों पर पट्टाकरण करने को सहमत हो गया है।

मत: यह विलेख इस बात का गवाही है कि:  
 1. पूर्णतः राज के अनुसार में और ... 9, 8.00/- रुपये की राशि (रुपये नौ हजार आठ सौ रुपये) को इस विलेख के निष्पादन के पूर्व संदत्त की जाती है (जिस राशि की प्राप्ति को पट्टाकर्ता इसके द्वारा भूमि के पट्टाकरण के लिए इसमें उसके आगे अर्जावस्तु प्रतिसिद्धाओं के प्रतिफलस्वरूप पट्टाकर्ता इसके द्वारा पट्टे दार को इसमें उपाचय अनुसूचि में ब्योरे बालो और उसमें वर्णित भूमि जिसको सीमाएं उस पर लाल रंग में दिखाई गई हैं (जिसे इसमें इसके आगे पट्टाकरित भूमि कहा गया है। तारीख ... 7/4/37 ... के पट्टा दार द्वारा सारित किये जाने के लिये पट्टाकरित करता है।

- इसके पक्षकार इसके द्वारा पट्टाकरित भूमि पर करार करते हैं-
    - पट्टा दार इस पट्टा के जारी रहने के दौरान पट्टाकरित भूमि पर उस पर निर्मित मकानों की मरम्मत अथवा संपन्न या इसमें पट्टाकरण करने के लिये कोई भी शर्त नहीं करेगा।
    - पट्टा राजस्थान में राजस्व (नगरीय क्षेत्रों में अधिभूतियों एवं वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिये कृषि भूमि का आवेदन संपरिवर्तन एवं नियमितकरण) नियम 1981 के उपबन्धों के अधिभूत होगा।
    - पट्टा दार पट्टाकर्ता को लिखित पूर्व सहमति के बिना पट्टाकरित भूमि का उपयोग जिस प्रयोजन के लिये पट्टा कर दो नहीं करेगा, उक्त भूमि में पट्टा करेगा या उपयोग करने को अनुज्ञा नहीं देगा।
    - पट्टा दार को संपरिवर्तन भूखण्ड पर भूदान का निर्माण पट्टा विलेख जारी होने के तारीख से पांच वर्ष की कालावधि के भीतर करना होगा, जिसमें विकल रहने पर पांच वर्ष पूर्ण होने के पश्चात् निर्माण पूरा होने तक उक्त क्षेत्र के लिए आरक्षित मूल्य का आधा प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से संचयित तथा नगरीय प्राधिकारी की वास्तु सवत्त को आयेगी।
    - यदि किसी भी समय पक्षकारों के बीच इसी विलेख या उसके किसी खण्ड के निर्वचन अथवा प्रभाव सम्बन्धी अथवा इसके अन्तर्गत उनके अपने अधिकारों तथा दायित्वों सम्बन्धी कोई विवाद उत्पन्न हो जाये तो उसको राजस्व सचिव राजस्थान सरकार जयपुर के माध्यम से लिये निर्दिष्ट विवाद किया जाएगा जिस पर उसका विनिश्चय अन्तिम और दोनों पक्षकारों पर अविद्यमान होगा।
- इसके पक्ष पर स्वयं इसके पक्षकारों ने पहले उपर लिखित तारीख और वर्ष की इस विलेख पर हस्ताक्षर कर दिये हैं।

पट्टा दार के हस्ताक्षर  
 पट्टाकर्ता, राजस्थान के तत्कालीन मुख्य अधिकारी (कृषि भूमि संपादन) जिला उदयपुर द्वारा हस्ताक्षरित।  
 1 साक्षी \_\_\_\_\_  
 2 साक्षी \_\_\_\_\_

कीर्तियों प्रति प्रमाणित

10

मानचित्र भूमि




- पथों- 1. उत्तर-पश्चिम, गोपा, नारु, वीरशाह  
 2. दक्षिण-पश्चिम, गोपा, नारु, वीरशाह  
 3. पथ-सीमा, वीरशाह  
 4. पश्चिम-पश्चिम, गोपा, नारु, वीरशाह, गोडरीमान की आराजी

कैलाफे (परीक्षित भूमि)  
 नं. 53-254-82-329

कुल क्षेत्रफल वर्ग गज में 1400 वर्ग गज  
 (3' x 3')

प्रतीक आनासीय



कार्यालय उप जिला कलकत्ता, बलभनपुर

- (1) कम संख्या 12/08
- (2) प्रा. पत्र प्रस्तुत करने की तिथि 24-11-12
- (3) कार्यालय मुद्रक 2/12 के कोषिका-1/12
- (4) नाम कोपीस्ट हरि चंद्र
- (5) हस्ताक्षर कोपीस्ट
- (6) बतियावपी तैयार करने की तिथि 24-11-12
- (7) प्रतिलिपि देने की तिथि 24-11-12



फोटों प्रति प्रमाणित

मय सचिव अधिकार  
 (भूमि स्वायत्तता)